टिप्पणी

24

पर्यावरणिक कानून

पर्यावरण को समझना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे वातावरण का निर्माण करता है और यह पृथ्वी पर हमारे जीने की कुशलता को प्रभावित करता है, वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, जल जो पृथ्वी के अधिकांश भाग में विद्यमान है, हमारे आसपास पौधों और पशुओं तथा और ऐसे ही अनेकों को प्रभावित करता है। हाल के वर्षों में, वैज्ञानिक उन तरीकों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर रहे हैं जिनका प्रयोग करके लोग पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने पाया कि हम वायु प्रदूषण को जन्म दे रहे हैं, वनों को काट रहे हैं, अम्लय वर्षा तथा अन्य अनेक समस्याओं को उत्पन्न कर रहे हैं जो पृथ्वी और स्वयं हमारे लिए हानिकारक हैं। आपने ऊपर उल्लिखित स्थितियों से निपटने के लिए कानूनों, नियमों तथा विनियमों के विषय में अवश्य सुना होगा। पिछले कुछ दशकों में सरकार ने पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए व्यापक रूचि दर्शायी है और इसके परिणामस्वरूप सरकार ने अने पर्यावरणिक कानूनों को पारित किया है। इस पाठ में मुख्य रूप से पर्यावरणिक प्रदूषण का मुख्य संदर्भ लेते हुए पर्यावरण और उसके विनाश पर विस्तार से चर्चा प्रस्तुत की गई है। इसी पाठ में आगे पर्यावरण को प्रदूषण से संरक्षित रखने संबंधी कानूनों और अन्य पर्यावरणिक मुद्दों पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया है।

उद्देश्य

इस पाठ का अध्ययन करने के पश्चात आप :

- पर्यावरण तथा हमारे जीवन में इसके महत्व का वर्णन कर पाएंगे;
- जान पाएंगे कि पर्यावरणिक प्रदूषण क्या है और विभिन्न प्रकार के प्रदूषण क्या हैं;
- पर्यावरण की संरक्षण की आवश्यकता को समझ पाएगें;
- पर्यावरणिक प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कारकों को जान पाएंगे;
- पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित विभिन्न कानूनों को जान पाएंगे; एवं
- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को कार्यों को जान पाएगें।

24.1 पर्यावरण का अर्थ

Environment (पर्यावरण) शब्द की उत्पत्ति प्रेंफच शब्द environner (इंवायरोन्नर) शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है घेरे में लेना या आसपास को एकत्र करना। पर्यावरण की सर्वाधिक उपयुक्त परिभाषा निम्न है :

यह जल, वायु और भूमि तथा इनमें विद्यमान मनुष्य, अन्य जीव-जंतु तथा पदार्थों के बीच विद्यमान अंतर-संबंध का कुल योग है।

पर्यावरण का भौगोलिक अर्थ है :

यह सजीव तथा निर्जीव वस्तुओं और उनके बीच आपसी संव्यवहार का संयोजन है जिसके परिणामस्वरूप पारितंत्र (ecosystem) की उत्पत्ति होती है।

पर्यावरण में वे सभी सजीव व निर्जीव वस्तुऐं समाहित हैं जो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से विद्यमान हैं। उच्चतम न्यायालय ने के.एम.चिन्नप्पा बनाम भारत सरकार (एआईआर 2003 एससी 724) में पर्यावरण को निम्नानुसार परिभाषित किया है:

"पर्यावरण" शब्द को परिभाषित करना कठिन है। इसका सामान्य अर्थ अपने परिवेश से संबंधित है, किन्तु निसंदेह, यह वह अवधारण है जो उसके परिवेश में आने वाले किसी भी वस्तु के सापेक्ष है। पर्यावरण एक बहुकेन्द्रित तथा बहुआयामी समस्या है जो मानव अस्तित्व को प्रभावित कर रही है।

आज पर्यावरण की संरक्षण एक वैश्विक समस्या बन गई है क्योंकि यह सभी देशों को प्रभावित कर रही है चाहे वे किसी भी आकार, स्तर या विकास या विचारधारा वाले देश क्यों न हों। आज, समाज और प्रकृति के बीच का संव्यवहार इतना व्यापक हो गया है कि पर्यावरण के प्रश्न का क्षेत्र काफी व्यापक हो गया है जो बड़े स्तर पर मानवता का प्रभावित कर रहा है।

पाठगत प्रश्न 24.1

1. पर्यावरण शब्द की व्याख्या कीजिए।
2. उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या के अनुसार 'पर्यावरण' की परिभाषा दीजिए।

24.2 पर्यावरणिक प्रदूषण

"प्रदूषण" शब्द से तात्पर्य हमारे आसपास के परिवेश में अवांछित रूप से परिवर्तन है, पूर्णत : या व्यापक स्तर पर उर्जा प्रारूप में परिवर्तन, रासायनिक तथा भौतिक निर्माण तथा जीवाणुओं की बहुतायता के प्रत्यक्षतथा अप्रत्यक्ष प्रभावों के माधयम से मानव क्रिया के उत्पादों के रूप में। इस प्रकार, यह जल, वायु तथा मृदा में किसी बाहरी सामग्री को मिश्रित करना है, जो तत्काल या कुछ समय पश्चात इन मौलिक घटकों के प्राकृतिक गुणों में परिवर्तन उत्पन्न करते हैं और आगे उन्हें अनुपयुक्त तथा हानिकारक बनाकर उनमें प्रतिकूल परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। औद्योगिकरण, गरीबी, जनसंख्या विस्फोट, शहरीकरण, संसाधनों को क्षमता से अधिक दोहन आदि कुछ ऐसे कारक हैं जिन्होंने पर्यावरण के ह्रास में योगदान दिया है।

24.2.1 जल प्रदूषण

जल प्रदूषण से तात्पर्य जल निकायों (जैसे नदियां, सागर, जलदायी स्तर तथा भूजल) का संदूषण है। जल प्रदूषण उस समय होता है जब हानिकारण घटकों को निकालने के लिए पर्याप्त उपचार किए बिना प्रदूषकों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन जल निकायों प्रवाहित किया जाता है।

चित्र 1 : जल प्रदूषण के विभिन्न स्रोत

24.2.2 वायु प्रदूषण

वायु में ऑक्सिजन, नाइट्रोजन, कार्बनडाइऑक्साइड, एरगॉन आदि विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। वायु प्रदूषण तब होता है जब वातावरण में रसायनों, कणों, या जैविक पदार्थ शामिल हो जाते हैं जिनके कारण मनुष्य को बेचौनी, रोग, या मृत्यु होती है, अन्य सजीव जीवाणुओं जैसे खाद्य फसलों, प्राकृतिक पर्यावरण या निर्मित पर्यावरण को खतरा उत्पन्न होता है।

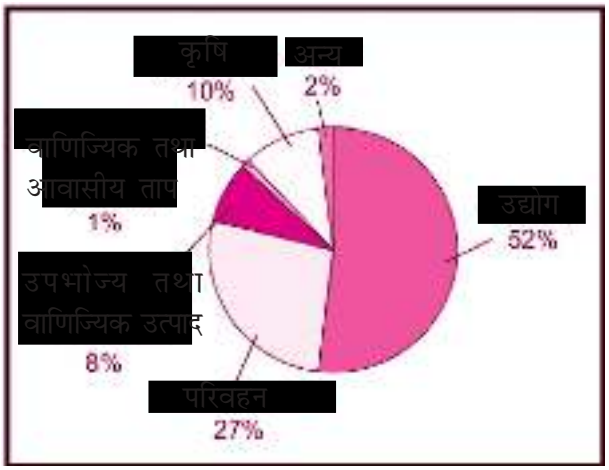

चित्र 2 : प्रदूषण का प्रतिशत अंशदान

वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं :

- औद्योगिक उत्सर्जन
- वाहनों का उत्सर्जन
- घरेलू उत्सर्जन

शहरी क्षेत्रों में पाए जाने वालपे सर्वाधिक सामान्य प्रदूषक हैं - सल्फर डाईऑक्साईड(SO_2), नाईट्रोजन ऑक्साइड ($NO \& NO_2$), कार्बनमोनोक्साइड (CO) आदि। इसके अतिरिक्त, रेफ्रिजरेटरों, एयर कंडीशनरों आदि से उत्सर्जित होने वाले गैसें (क्लोरोफ्लोरोकार्बन) (CFC's) ओजोन परत की क्षणता के लिए उत्तरदायी हैं।

चित्र 3: चिमनियों से निकलने वाला धुआं

24.2.3 ध्वनि-प्रदूषण

ध्वनि (Noise) शब्द की उत्पत्ति लेटिन शब्द 'Nausea' (नौसिया) से हुई है जिसका अर्थ है समुद्री मतली (Sea-Sickness)। ध्वनि कोई अवांछित आवाज है जो पर्यावरणिक संतुलन को प्रभावित करता है। ध्वनि को डैसिबल (decibles) में मापा जाता है। मोटर वाहन, विमान, पटाखे, सायरन, लाउडस्पीकर तथा मशीनें ध्वनि प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं।

राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार दिल्ली, मुम्बई और कोलकता विश्व में सर्वाधिक ध्वनि करने वाले शहर हैं। पर्यावरण, मनुष्य तथा पशुओं पर ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव होते हैं। मानव स्वास्थ्य पर होने वाले कुछ प्रतिकूल प्रभाव हैं :

- सुनाई न देना या कम सुनाई देना
- रक्तचाप में वृद्धि
- हृदयवाहिनी स्वास्थ्य प्रभाव
- तनाव स्तर में वृद्धि
- कुशलता तथा एकाग्रता में कमी

ध्वनि-प्रदूषण मनुष्य तथा पशुओं के लिए अत्यधिक परेशान करने वाली है या हम कह सकते हैं कि मशीनों द्वारा उत्पन्न पर्यावरणिक ध्वनि मानव तथा पशु जीवन की गतिविधियों या संतुलन को अवरूद्ध करता है। विश्व भर में अधिकरत बाहरी ध्वनि के मुख्य स्रोत निर्माण तथा परिवहन प्रणालियां होती हैं जिनमें मोटर वाहनों से ध्वनियां, विमानों से ध्वनियां, रेलगाड़ियों और इंजनों से ध्वनियां शामिल हैं। खराब शहरी नियोजन से भी ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है, क्योंकि औद्योगिक तथा आवासीय भवनों के साथ-साथ निर्मित होने के कारण आवासीय क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण हो सकता है।

24.2.4 भूमि प्रदूषण

निर्वनीकरण या वनों को काटने, भूमि में विषैले तत्वों को छोड़ने, भूमि में अस्वच्छ अपशिष्ट, कूड़ेकचरे, जैव-चिकित्सा अपशिष्टों आदि को फैंकने के कारण भूमि प्रदूषण होता है। कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग भी भूमि प्रदूषण का स्रोत है क्योंकि यह जल की पेयता का प्रभावित करता है।

24.2.5 स्थूल जल प्रदूषण

अपशिष्ट (Wastes) वे पदार्थ हैं जो उपयोगी नहीं होती है या जिनकी आवश्यकता नहीं होती है और भावी प्रसंस्करण के बिना वे आर्थिक रूप से प्रयोग योग्य नहीं होते हैं। स्थूल अपशिष्ट में कृषि अपशिष्ट, राख, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट, मृत पशुओं के शारीर के भाग, घरेलू गतिविधि यों से निकला शुष्ट या द्रव्य अपशिष्ट जिसमें प्लास्टिक, धातु, लकड़ी, ग्लास, कागज, डिटर्जेंट, औद्योगिक अपशिष्ट, खनन अपशिष्ट आदि शामिल हैं।

24.2.6 खाद्य-प्रदूषण (भोजन में मिलावट)

सभी जीवों को उर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन की आवश्यकता होता है जिससे वे अपनी दैनिक गतिविधियों को करते हैं। यदि खाया जाने वाला भोजन प्रदूषित या मिलावटी होगा तो इससे भोजन करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ पर हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। खाद्य प्रदूषण पौधों के विकास के विभिन्न स्तरों पर रासायनिक उर्वरक तथा विभिन्न कीटनाशकों के प्रयोग से ही उत्पन्न हो जाता है। ये रसायन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन की गुणवत्ता तथा उपभोक्ता के स्वास्थ्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण, भंडारण, पैकेजिंग तथा परिवहन के दौरान भी प्रदूषित होते हैं।

24.2.7 ताप प्रदूषण

तापमान उन परिस्थितियों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है जिनमें सजीव जीवाणु जीवित रह सकते हैं। प्राकृतिक तापमान में किसी प्रकार के अवांछित , हानिकारक परिवर्तन, जिसके कारण वातावरण के प्राकृतिक ताप संतुलनमें व्यवधान उत्पन्न होता है, उसे ताप प्रदूषण कहते हैं।

24.2.8 परमाणु (रेडियोधर्मी)-प्रदूषण

सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा हानिकारक प्रकार के प्रदूषणों में से एक परमाणु प्रदूषण है। परमाणु प्रदूषण परमाण विस्फोट से उत्पन्न होता है जिसे परमाणु परीक्षण के लिए किया जाता है और

जिसका प्रयोग आगे परमाणु हथियारों के निर्माण के लिए किया जाता है। इस प्रकार के विस्फोट के कारण 15 से 20 प्रतिशत रेडियोधर्मी कण वातावरण में प्रवेश कर जाते हैं। एक बार जब ये कण वातावरण में प्रवेश करते हैं तो अनेक वर्षों तक ये पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। इसका एक उदाहरण हीरोशीमा परमाणु बम्ब विस्फोट है।

क्रियाकलाप 24.1

वायु-प्रदूषण, जल प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों की सूची तैयार करें।

क्र.सं	वायु प्रदूषण	जल प्रदूषण	ध्वनि प्रदूषण
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

पाठगत प्रश्न 24.2

1. निम्न शब्दों को परिभाषित कीजिए
   (क) जल प्रदूषण
   (ख) वायु प्रदूषण
   (ग) ध्वनि प्रदूषण
2. ध्वनि-प्रदूषण के मुख्य स्त्रोतों को चिन्हित कीजिए।
3. मनुष्य के स्वास्थ्य पर प्रदूषण के कुछ प्रतिकूल प्रभावों का उल्लेख कीजिए।

24.3 पर्यावरण संरक्षण

पर्यावरण संरक्षण वह विधि है जिसके द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण और मनुष्य को लाभ पहुंचाने के लिए व्यक्तिगत, संगठनात्मक तथा सरकारी स्तर पर प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान की जाती है। जनसंख्या और प्रौद्योगिकी के दबावों के कारण जैव-भौतिक पर्यावरण का अवक्रमण (degradation) होता है और कई बार तो यह स्थायी रूप से हो जाता है। इस स्थिति को पहचाना गया है और सरकार ने उन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना आरंभ कर दिया है जिनके कारण पर्यावरण का अवक्रमण हो रहा है। साठ के दशक से पर्यावरण संरक्षण के अभियानों ने पर्यावरण संबधी विभिन्न मुद्दों के प्रति जागरूकता का सृजन किया है। मानव गतिविधियों पर पर्यावरण के प्रभाव के स्तर के संबंध में कोई सहमति नहीं है और संरक्षण उपायों की भी कई बार आलोचना की जाती है।

शैक्षिक संस्थान पर्यावरणिक कानून, पर्यावरणिक ज्ञान, पर्यावरणिक प्रबंधन तथा पर्यावरणिक इंजीनियरिंग जैसे पाठ्यक्रम उपलब्ध करा रहे हैं, जो पर्यावरणिक संरक्षण के इतिहास तथा

विधियों का अध्ययन कराते हैं। विभिन्न मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण के संरक्षण की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। अपशिष्ट उत्पादन, वायु प्रदूषण, तथा जैव-विविधता की हानि (तेजी से विकसित होने वाली प्रजातियों और प्रजाति उन्मूलन) पर्यावरणिक संरक्षण के संबंधित कुछ मुद्दे हैं।

पर्यावरणिक संरक्षण तीन अंतर-संबंधित कारकों से प्रभावित होते हैं : पर्यावरणिक विधान, नैतिकता और शिक्षा। इनमें से प्रत्येक कारक राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणिक निर्णयों और व्यक्तिगत स्तर पर पर्यावरणिक मूल्यों और व्यवहार को प्रभावित करने में अपनी भूमिका अदा करते हैं। पर्यावरणिक संरक्षण को वास्तविकता बनाने के लिए, समाज के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वे इनमें से प्रत्येक कारक को विकसित करे।

पाठगत प्रश्न 24.3

1. 'पर्यावरण संरक्षण' की परिभाषा दीजिए।
2. पर्यावरणिक संरक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों का सूचिवद्ध कीजिए।

24.4 पर्यावरण की संरक्षण की आवश्यकता

- विश्व में एक बिलियन लोगों के पास साफ पानी नहीं है।
- विश्व में दो बिलियन लोगों को सेनिटेशन की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।
- डेढ बिलियन लोग (नए औद्योगिक देशों के बड़े शहरों में रहने वाले) खतरनाक तथा दूषित वायु में सांस ले रहे हैं।

मनुष्य और पशु दोनों को स्वच्छ भोजन तथा साफ पानी की आवश्यकता होती है और स्वच्छ भोजन तथा साफ पानी को प्राप्त करने के लिए पारितंत्र (ecosystem) को संरक्षित रखना आवश्यकत है ताकि जीवन को संभव बनाया जा सके। यदि हम प्रदूषण को नहीं रोकेंगे तो यह निश्चित है कि शीघ्र ही पृथ्वी का अंत हो जाएगा।

क्रियाकलाप 24.2

सही विकल्प के साथ निम्नलिखित का मिलान करें :

(i)	ताप प्रदूषण	(क)	हीरोशिमा एटॉमिक बोमबिंग
(ii)	खाद्य प्रदूषण	(ख)	विमान
(iii)	रेडियोधर्मी प्रदूषण	(ग)	तापमान
(iv)	ध्वनि प्रदूषण	(घ)	सिगरेट का धुआं
(v)	वायु प्रदूषण	(ड़)	उर्वरक तथा कीटनाशी

पाठगत प्रश्न 24.4

रिक्त स्थानों को भरिए

1. मनुष्य को _____ रहने के लिए स्वच्छ भोजन एवं साफ पानी की आवश्यकता होती है।
2. यदि हमने प्रदूषण की नियंत्रित नहीं किया तो संसार का _____ हो सकता है।

24.5 पर्यावरणिक संरक्षण से संबंधित विधिक तंत्र

पर्यावरणिक कानून पर्यावरण को संरक्षित रखने तथा उसमें सुधार करने और पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले या संभावित किसी कृत्य या चूक को रोकने का माधयम है। पर्यावरणिक विधिक प्रणाली अनिवार्य रूप से कानूनों और प्रशासनिक नियमों का समूह है जो पर्यावरण से संबंधित सभी लोगों के बीच के संबंधों और विरोधों को विनियमित करता है, और साथ ही साथ लोगों और स्वयं पर्यावरण के बीच के संबंधों को भी परिभाषित करता है।

उच्चतम न्यायालय ने 'के.एम.चिन्नप्पा बनाम भारत संघ' (एआईआर 2003 एससी 724) में ''पर्यावरणिक कानून'' को ''पर्यावरण के संरक्षण और सुधार तथा पर्यावरण का प्रदूषित करने वाले या संभावित किसी कृत्य या चूक को रोकने के माधयम के रूप में'' परिभाषित किया है।

भारत के संविधान में, यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि राष्ट्र का यह दायित्व है कि वह ''पर्यावरण को संरक्षित रखे व उसमें सुधार करे और देश में वनों और वन्यजीवन को सुरक्षित रखे।'' यह राष्ट्र के सभी नागरिकों को यह दायित्व सौपता है कि वे ''वनों, तालों, नदियों तथा वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखें और उसमें सुधार करें।'' राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों (भाग IV) तथा मौलिक अधिकारों (III) में भी पर्यावरण का संदर्भ दिया गया है। देश में स्वस्थ पर्यावरण को सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 1980 में भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई थी। बाद में वर्ष 1985 में इसे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय बना दिया गया।

24.5.1 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत की पर्यावरणिक तथा वन संबंधी नीतियों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के नियोजन, संवर्धन, समन्वयन तथा निगरानी के लिए केन्द्रीय सरकार की प्रशासनिक संरचना में एक नोडल एजेंसी है। मंत्रालय का प्रमुख कार्य तालों, नादियों, जैव-विविध ता, वनों तथा वन्यजीवन सहित देश के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण संबंधी नीतियों और कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना, पशुओं के कल्याण को सुनिश्चित करना तथा प्रदूषण का निवारण तथा अपशमन करना है।

मंत्रालय के प्रमुख उद्देश्य हैं :

- प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण
- पर्यावरण का संरक्षणय और
- पौधों और पशुओं के कल्याण को सुनिश्चित करना।

24.5.2 भारत का संविधान

भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में समाविष्ट 'जीवन के अधिकार' में साफ तथा मानाव पर्यावरण का अधिकार शामिल है। इसका अर्थ यह है कि आपको स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण में जीने का अधिकार है।

हमारे संविधान के अनुच्छेद 38 राज्य से यह अपेक्षित है कि वह लोगों के कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्थि सुनिश्चित करे और इसे केवल अप्रदूषित और स्वच्छ पर्यावरण द्वारा ही सुनिश्चित किया जा सकता है।

संविधान के अनुच्छेद 48क में राज्य के लिए यह अपेक्षित है कि वह संरक्षात्मक नीति तथा सुधारात्मक नीति का अनुसरण करे। संरक्षात्मक नीति उन वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाती है जिनके कारण पर्यावरणिक अवक्रमण होता है उदाहरण के लिए लैडयुक्त पेट्रोल के प्रयोग पर प्रतिबंध, प्लास्टिक बैगों के प्रयोग पर प्रतिबंध आदि। सुधारात्मक नीति से तात्पर्य वैकल्पिक व्यवस्था से है जिसका प्रयोग पर्यावरण में सुधार करने के लिए किया जा सकता है उदाहरण के लिए सी.एन.जी. या निम्न सल्फर ईंधन का प्रयोग, औद्योगिक क्षेत्रों में वृक्षरोपण आदि।

संविधान का अनुच्छेद 48क घोषित करता है कि ''राज्य पर्यावरण की संरक्षा और सुधार तथा देश के वनों और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने का प्रयास करेगी।''

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51क(छ) में कहा गया है कि ''वनों, तालों, नदियों तथा वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित रखना व उसमें सुधार करना तथा सजीव प्राणियों के प्रति संवेदना रखना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।''

24.5.3 जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974

जल प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण हेतु तथा देश में जल की प्रचुरता को बनाए रखने तथा बहाली हेतु प्रावधान के लिए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 बनाया गया है।

भारत में पारित यह पहला कानून था जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि घरेलू तथा औद्योगिक प्रदूषकों को पर्याप्त उपचार के बिना नदियों और तालाबों में प्रवाहित न किया जाए। इसका कारण यह है कि इस प्रकार दूषित मिश्रण जल को पेय जल के स्रोत के रूप में तथा सिंचाई और अन्य जलीय-जीवन के उद्देश्यों के लिए अनुपयुक्त बना देता है।

अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से, जल निकायों में प्रदूषकों को प्रवाहित करने वाली फैक्टरियों के लिए मानकों को स्थापित करने व लागू करने के लिए केन्द्र तथा राज्य स्तरों पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की स्थापना की गई।

24.5.4 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981

भारत में वायु-प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण तथा उपशमन के प्रावधानों के लिए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 बनाया गया है। यह विधान का एक विशिष्ट भाग है जिसे पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों के निवारण के लिए उपयुक्त कदम उठाने के लिए बनाया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ साथ वायु की गुणवत्ता का निवारण तथा वायु प्रदूषण का नियंत्रण भी शामिल है।

इस अधिनियम के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं :

- वायु प्रदूषण को निवारण, नियंत्रण और उपशमनय;
- उपर्युक्त उद्देश्यों के क्रियान्वयन के लिए केन्द्रीय तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की स्थापनाय; एवं
- वायु की गुणवत्ता को बनाए रखना।

24.5.5 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986

भोपाल गैस त्रासदी ने भारत सरकार के लिए यह आवश्यक बना दिया कि वह खतरनाक अपशिष्ट के भंडारण, देख-भाल या रख-रखाव तथा प्रयोग संबंधी नियमों सहित एक वृहत पर्यावरणिक विधान बनाए। इन नियमों के आधार पर भारतीय संसद ने पर्यावरणिक संरक्षण अधिनियम, 1986 बनाया। यह एक अम्ब्रेला विधान है जो जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों को समेकित करता है। विधानों के इस ढांचे के भीतर, सरकार ने पर्यावरणिक प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की स्थापना की है।

पर्यावरणिक संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य देश में पर्यावरण की संरक्षा तथा सुधार है।

भोपाल-त्रासदी

भोपाल आपदा, जिसे भोपाल गैस त्रासदी भी कहते हैं, भारत में गैस रिसाव की एक दुर्घटना थी, जिसे विश्व की सबसे घातक औद्योगिक आपदा माना जाता है। यह घटना भोपाल, मध्य प्रदेश में स्थिति कीटनाशी संयंत्र यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) में 2तथा 3 दिसंबर, 1984 के मध्य रात्री में हुई थी। लगभग 500,000 लोग मिथइल आइसोसिनेट गैस तथा अन्य रसायनों के प्रभाव में आए थे। इसके विशैले तत्व संयंत्र के आसपास स्थित गरीब बस्तियों में फैल गए। इस दुर्घटना में मृतकों के आंकड़ों में भिन्नता है। आधिकारिक रूप से इस दुर्घटना में तत्काल मृतकों की संख्या 2,250 थी। मध्य प्रदेश सरकार ने गैस रिसाव के कारण कुल 3,787 लोगों की मृत्यु की पुष्टि की थी। अन्य अनुमानों के

अनुसार, इस घटना के दो सप्ताह के भीतर 8,000 लोगों की मृत्यु हुई और तत्पश्चात, गैस रिसाव रोगों के कारण अब तक 8,000 और लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वर्ष 2006 में सरकारी दस्तवेज बताते हैं कि गैस रिसाव के कारण 558,125 लोग पीडित हुए जिनमें से 38,478 लोग आंशिक रूप से अपंग हो गए और लगभग 3,900 लोग गंभीर तथा स्थायी रूप से अपंग हुए।

24.5.6 ध्वनि प्रदूषण (विनियम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 2000

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 या किसी अन्य विधान में ध्वनि प्रदूषण के लिए कोई प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है। औद्योगिक गतिविधि, जनरेटर सेट, लाउड स्पीकरों, वाहनों के हार्नों आदि जैसे विभिन्न स्रोतों से सर्वाजनिक स्थलों में बढते हुए परिवेशीय ध्वनि स्तर ने मानव स्वास्थ्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। ध्वनि के संबंध में परिवेशी वायु गुणवत्ता के मानकों के अनुरक्षण के उद्देश्य से आज यह आवश्यकता बन गई है कि ध्वनि उत्पन्न करने वाली आवाजों को नियमित तथा नियंत्रित करने के लिए कानून बनाया जाए। इसलिए, केन्द्र सरकार ने ध्वनि प्रदूषण (विनियम एवं नियंत्रण) नियम, 2000 बनाएं।

सरकार ने पर्यावरणिक ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए यह नियम तैयार किए हैं। सरकार द्वारा कुछ मानक निर्धारित किए गए हैं जैसे परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक। विभिन्न क्षेत्रों के लिए ध्वनि के अनुमेय स्तर भिन्न-भिन्न हैं जैसे औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय क्षेत्र तथा ध्वनि मुक्त क्षेत्र (Silence zone) (अस्पताल, शैक्षिक संस्थानों तथा न्यायालय के परिसरों के क्षेत्र आदि)।

24.5.7 जन-दायित्व बीमा अधिनियम, 1981

इस अधिनियम का उद्देश्य उन व्यक्तियों को तत्काल राहत उपलब्ध कराना है जो किसी खतरनाक पदार्थ की देखभाल या रख-रखाव के दौरान हुई दुर्घटना से प्रभावित हुए हैं। इसमें प्रावधान है कि किसी जोखिपूर्ण पदार्थ से संबंधित कार्य आरंभ करने से पूर्व उसका स्वामी बीमा की संविदाओं का प्रावधान करने के लिए एक या अधिक बीमा पॉलिसियां लेगा। बीमा लेने का उद्देश्य संभावित भावी दुर्घटना के परिणामों से क्षतिपूर्ति की गारंटी को निर्धारित करना है।

एक क्षेत्र के कलैक्टर को अपने अधिकार क्षेत्र में किसी भी स्थान में किसी दुर्घटना की आवृत्ति के सत्यापन का अधिकार प्राप्त होता है और वह किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिए पीडितों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए प्रचार भी कर सकता है।

बीमा संविदा के अतिरिक्त, क्षतिपूर्ति के उद्देश्य के लिए वित्तपोषण की व्यवस्था केन्द्र सरकार द्वारा ''पर्यावरण राहत निधि'' द्वारा भी की जाती है। कलॉक्टर द्वारा इस निधि का प्रयोग क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए किया जा सकता है।

24.5.8 राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण अधिनियम, 1995

इस अधिनियम का उद्देश्य किसी जोखिमपूर्ण वस्तु की देखभाल या रख-रखाव के दौरान होने वाली किसी दुर्घटना के हुई क्षतियों के लिए कड़े दायित्वों हेतु तथा व्यक्तियों, सम्पत्ति और पर्यावरण को हुई क्षतियों के लिए राहत और क्षतिपूर्ति प्रदान करने के दृष्टिगत ऐसी दुर्घटनाओं

से उत्पन्न मामलों के प्रभावपूर्ण और तीव्र निपटान के लिए एक राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण की स्थापना हेतु और इससे संबंधित मामलों के लिए प्रावधान बनाना है।

इस अधिनियम की विशेषता इस तथ्य में है कि दुर्घटना के मामले में तथा उसके परिणामस्वरूप जनसाधारण को लगी चोटों के लिए जोखिमपुर्ण पदार्थ के स्वामी के दायित्वों को कड़ाई से निधारित किया गया है। यहां क्षतिपूर्ति के किसी मामले में दावाकर्ता को यह अपील दायर करने या निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं होती है कि मृत्यु, चोट या क्षति जिसके लिए दावा किया जा रहा है, वह किसी व्यक्ति द्वारा गलत कृत्य, लापरवाही या चूक के कारण हुई थी। इस प्रकार, साक्ष्य का बोझ क्षतिपूर्ति का दावा करने वाले व्यक्ति पर नहीं पड़ता है जो कि पीडितों के लिए बड़ी राहत है।

24.5.9 राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण (एनईएए) अधिनियम, 1997

राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण (एनईएए) अधिनियम, 1997 की स्थापना पर्यावरण तथा वन मंत्रालय द्वारा उन मामलों के समाधान के लिए की गई थी जिनमें कतिपय प्रतिबंधित क्षेत्रों में पर्यावरणि क्लियरेंस की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण (एनईएए) अधिनियम, 1997 द्वारा यह निर्धारित किया गया था उन प्रतिबंधित क्षेत्रों के संबंध में अपीलों को सुना जाए जहां पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत कतिपय सावधानियों के मद्देनजर किसी औद्योगिक, प्रचालनिक, प्रसंस्करण या उद्योगों, प्रचालनों या प्रसंस्करणा की श्रेणी को किया जा सकता है या नहीं।

24.5.10 ओजोन अवक्षय पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) अधिनियम, 2000

ओजोन अवक्षय पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 का निर्धारण ओजोन अवक्षय पदार्थों के उत्पादन तथा उपभोग को विनियमित करने के लिए किया गया है। इस नियम का मुख्य उद्देश्य ओजोन परत को संरक्षित रखना है। यह नियम ओजोन अवक्षय पदार्थों की अप्राधिकृत बिक्री, खरीद, आयात, निर्यात तथा प्रयोग को प्रतिबंधित करता है।

> ओजोन अवक्षय पदार्थ वे उत्पाद है जिसके कारण ओजोन परत का अवक्षय होता है। सीएफसी (क्लोरोफ्लोरोकार्बन) ओजोनअवक्षय पदार्थों का एक उदाहरण है।

पाठगत प्रश्न 24.5

सही/गलत बताइए

1. पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय भारत पर्यावरिणिक तथा वन संबंधी नीतियों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के नियोजन संवर्धन, समन्वय तथा निगरानी के लिए केन्द्रीय सरकार की संरचना में एक नोडल एजेंसी है। (सही/गलत)
2. जल प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण हेतु तथा देश में जल की प्रचुरता बनाए रखने तथा बहाली हेतु प्रावधान के लिए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 बनाया गया है। (सही/गलत)

3. भारत में वायु-प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण तथा उपशमन के प्रावधानों के लिए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 बनाया गया है। (सही/गलत)
4. पर्यावरणिक संरक्षण अधिनियम, 1986 का उद्देश्य देश में पर्यावरण की संरक्षा तथा सुधार है। (सही/गलत)
5. ध्वनि प्रदूषण (विनियम एवं नियंत्रण), अधिनियम, 2000 ने पर्यावरणिक ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए नियम बनाए है। (सही/गलत)
6. जन-दायित्व बीमा अधिनियम, 1981 का उद्देश्य उन व्यक्तियों को तत्काल राहत उपलब्ध कराना है जो किसी खतरनाक पदार्थ की देखभाल या रख-रखाव के दौरान हुई घटना से प्रभावित हुए हैं। (सही/गलत)
7. ओजोन अवक्षय पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) अधिनियम, 2000 का मुख्य उद्देश्य ओजोन परत को संरक्षित रखना है। (सही/गलत)

24.6 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड संविधिक निकाय हैं जिन की स्थापना प्रदूषण को नियंत्रित करने और स्वच्छ वातावरण को बढ़ावा देने उद्देश्य से की गई है।

24.6.1 केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना एक सांविधिक निकाय के रूप में बढ़ते हुए प्रदूषण से निपटने के लिए जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत सितंबर, 1974 में की गई थी। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु (प्रदूषणनिवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981के अंतर्गत शक्तियां और कार्य प्रदान किए गए है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रमुख कार्य :

(i) जल प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण तथा उपशमन द्वारा राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में नदीओं और कुओं की साफ-सफाई को संवर्धित करना।

(ii) वायु की गुणवत्ता में सुधार करना और देश में वायु प्रदूषण का निवारण, नियंत्रण तथा उपशमन करना।

केन्द्रीय बोर्ड के अन्य कार्य

- जल और वायु प्रदूषणके निवारण, और नियंत्रण तथा वायु की गुणवत्ता में सुधार से संबंधित किसी मुद्दे पर केन्द्र सरकार को सलाह प्रदान करना।
- जल तथा वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण तथा अपशमन के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों की योजना बनाना तथा उन्हें निष्पादित करना।
- राज्य बोर्डो को तकनीकी सहायता तथा मार्गदर्शन उपलब्ध कराना तथा जल तथा वायु प्रदूषण से संबंधित समस्याओं और इनके निवारण, नियंत्रण तथा अपशमन से संबंधि त जांचों तथा अनुसंधानों को निष्पादित तथा प्रायोजित करना।

- सेवेज तथा व्यापार अपशिष्टों तथा चिमनी गैस सफाई उपकरणों, चिमनियों और डक्टों के उपचार और निपटान से संबंधित नियमावली, कोड तथा दिशा निर्देश तैयार करना।
- नालों और कूओं के लिए मानक निर्धारित करना तथा आशोधित करना (राज्य सरकारों के परामर्श से) तथा वायु की गुणवत्ता के लिए मानक निर्धारित करना।

24.6.2 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

राज्य सरकारों के अपने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी हैं, उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी), दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (डीपीपीसीबी), हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचपीसीबी), राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी), आदि।

राज्य बोर्डों के कार्य

- प्रदूषण तथा उद्योगों को स्थापित करने संबंधी मुद्दों पर राज्य सरकार को सलाह देना।
- प्रदूषण नियंत्रण के लिए योजनाएं तैयार करना।
- सूचनाएं एकत्र तथा संवितरित करना।
- प्रदूषणकर्ता उद्योगों तथा क्षेत्रों का निरीक्षण करना।
- उत्प्रवाही और उत्सर्जन मानकों को निर्धारित करना।
- निर्धारित उत्सर्जन तथा उत्प्रवाही मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उद्योगों और अन्य गतिविधियों को सहमति जारी करना।

पाठगत प्रश्न 24.6

1. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कोई दो कार्य बताइए।
2. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कोई दो कार्य बताइए।

आपने क्या सीखा

पर्यावरण वह स्थान या परिवेश है जहां हम रहते हैं और मनुष्य के अस्तित्व के लिए इसे साफ रखना अत्यंत आवश्यक है। प्रदूषण अपने परिवेश में प्रतिकूल परिवर्तन है। यह वायु, जल तथा मृदा में किसी बाहरी पदार्थ का मिश्रण है। शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, अधिक जनसंख्या, संसाधनों का क्षमता से अधिक दोहन कुछ ऐसे कारक हैं जिन्होंने पर्यावरण के ह्रास में योगदान किया है।

प्रत्येक मनुष्य तथा पशुओं को जीवित रहने के लिए भोजन, स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु की आवश्यकता होती है।

प्रदूषण को निम्नलिखित क्षेत्रों में श्रेणिबद्ध किया गया है : (क) जल-प्रदूषणए (ख) वायु-प्रदूषण, (ग) ध्वनि प्रदूषण, (घ) भूमि प्रदूषण, (ड.) स्थल जल प्रदूषण, (च) खाद्य प्रदूषण, (छ) ताप प्रदूषण एवं (ज) परमाणु प्रदूषण।

पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के संबंध में विभिन्न विधान, अधिनियम हैं:

क. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974

ख. वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981

ग. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986

घ. राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण अधिनियम, 1995

ड़. ध्वनि प्रदूषण (विनियम तथा नियंत्रण) नियम, 2000

च. जन-दायित्व बीमा अधिनियम, 1981

छ. राष्ट्रीय पर्यावरण अपील अधिकरण (एनईएए), 1997

ज. ओजोन अवक्षय पदार्थ (विनियम एवं नियंत्रण) नियम, 2000

प्रदूषण में वृद्धि से निपटने के लिए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया है।

पाठांत प्रश्न

1. 'पर्यावरणिक प्रदूषण' शब्द को परिभाषित कीजिए।
2. निम्न की व्याख्या कीजिए

   (क) वायु प्रदूषण

   (ख) जल प्रदूषण

   (ग) ध्वनि प्रदूषण
3. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एक अम्ब्रेला विधान है जो जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों को समेकित करता है। वर्णन करें।
4. केन्द्रीय तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के पांच पांच कार्यों का वर्णन करें।
5. यमुना नदी का दौरा करें और वहां हो रही गतिविधियों का अवलोकन करें। वहां प्रदूषण करने वाली गतिविधियों की जांच करें । यमुना नदी में होने वाले प्रदूषण के कारणों और उन्हें रोकने के लिए निकारक उपायों पर 500 शब्दों की एक रिपोर्ट तैयार करें।
6. इन दिनों दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बहुत अधिक है। इस पाठ से सहायता प्राप्त करें, वायु प्रदूषण के कारणों की जांच करें और भावी प्रदूषण को रोकने के लिए उपाय सुझाएं। इस संबंध में 500 शब्दों की एक रिपोर्ट तैयार करें।

7. दिल्ली के पांच प्रमुख सरकारी अस्पतालों का दौरा करें और वहां वायु प्रदूषण के कारण ओपीडी आने वाले श्वसन समस्याओं की शिकायत वाले मरीजों की संख्या संबंधी आंकड़े एकत्र करें। विधि के विद्यमान प्रावधानों का संदर्भ देते हुए 500 शब्दों की एक रिपोर्ट तैयार करें।

8. मान लीजिए कि आप ऐसे आवासीय क्षेत्र में रह रहे हैं जहां दो अस्पताल भी हैं।शहर का हवाई अड्डाा आपके आवासीय क्षेत्र के समीप स्थिति है जहां चौबीसों घंटे विमान आते व जाते रहते हैं। हवाई अड्डा प्राधिकारियों ने हाल में निर्मित नए रनवे का प्रयोगआरंभ कर दिया है। दिन का समय तो किसी तरह निकल जाता है किन्तु रात के समय विमानों की लैंडिग तथा टेकऑफ के समय होने वाले ध्वनि के कारण रोगियों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है और इसके कारण उनके तनाव का स्तर भी बढ़ता जा रहा है जो कई बार बहुत घातक हो सकता है।

   ध्वनि-प्रदूषण संबंधी कानूनों का संदर्भ देते हुए इन रोगियों की समस्याओं का उल्लेख करते हुए संबंधित प्राधिकरण के लिए एक पत्र का मसौदा तैयार करें। उन्हें अनुरोध करें कि हवाईअड्डों को कम से कम रात्रि के समय के लिए बंद रखा जाए ताकि अस्पतालों में रोगियों को कुछ राहत तो प्राप्त हो सके।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

24.1

1. यह जल, वायु और भूमि तथा इनमें विद्यमान मनुष्य, अन्य जीव-जंतु तथा पदार्थों के बीच विद्यमान अंतर-संबंध का कुल योग है।

2. उच्चतम न्यायालय के अनुसार ''पर्यावरण'' शब्द को परिभाषित करना कठिन है। इसका सामान्य अर्थ अपने परिवेश से संबंधित है, किन्तु निसंदेह, यह वह अवधारण है जो उसके परिवेश में आने वाले किसी भी वस्तु के सापेक्ष है। पर्यावरण एक बहुकेन्द्रित तथा बहुआयामी समस्या है जो मानव अस्तित्व को प्रभावित कर रही है।

24.2

1. (क) **जल प्रदूषण:** जल प्रदूषण से अभिप्राय जल निकाओं (जैसे नदियां, सागर जलदायी स्तर तथा भूजल) का संदूषण है।

   (ख) **वायु प्रदूषण:** वायु में ऑक्सिजन, नाईट्रोजन, कार्बनडाइआक्साइड, एरगॉन आदि विभिन्न गैसों को मिश्रण होता है। वायु प्रदूषण तब होता है जब वातावरण में रसायणों, कणों या जैविक पदार्थ शामिल हो जाते हैं जिनके कारण मनुष्य को बैचनी रोग या मृत्यु हो जाती है। अन्य सजीव जीवाणुओं जैसे खाद्य फसलों, प्राकृतिक पर्यावरण या निर्मित पर्यावरण को खतरा उत्पन्न होता है।

   (ग) **ध्वनि-प्रदूषण :** ध्वनि प्रदूषण कोई अवांछित आवाज है जो पर्यावरणिक संतुलन को प्रभावित करती है। मोटर वाहन, विमान, पटाखे, सायरन, लाऊडस्पीकर तथा मशीनें ध्वनि प्रदूषण के मुख्य स्त्रोत है।

टिप्पणी

2. वायु-प्रदूषण के मुख्य स्त्रोत है:

   औद्योगिक उत्सर्जन;

   वाहनों का उत्सर्जन; एवं

   घरेलू उत्सर्जन

3. (क) सुनाई न देना या कम सुनाई देना;

   (ख) रक्त चाप में वृद्धि;

   (ग) तनाव में वृद्धि;

   (घ) हृदय-वाहिनी स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव; एंव

   (ड़) कार्यकुशलता तथा एकाग्रता में कमी होना

24.3

1. पर्यावरण संरक्षण वह विधि है जिसके द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण और मनुष्य को लाभ पहुंचाने के लिए व्यक्तिगत, संगठनात्मक तथा सरकारी स्तर पर प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान की जाती है।
2. पर्यावरणिक संरक्षण तीन अंतर-संवधित कारकों से प्रभावित होते है; पर्यावरण्कि विधान, नैतिकता और शिक्षा।

24.4

1. जीवित
2. अन्त

24.5

1. सही
2. सही
3. सही
4. सही
5. सही
6. सही
7. सही

24.6

1. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दो मुख्य कार्य हैं-

   (i) जल प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण तथा उपशमन द्वारा राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में नदीयों और कुओं आदि की साफ-सफाई को संवर्धित करना।

(ii) वायु की गुणवता में सुधार करना और देश में वायु प्रदूषण का निवारण, नियंत्रण तथा उपशमन करना।

2. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दो मुख्य कार्य है:

(i) प्रदूषण तथा उद्योगों को स्थापित करने संबंधी मुद्दों पर राज्य सरकार को सलाह देना।

(ii) प्रदूषण नियंत्रण के लिए योजनाएं तैयार करना।